:: महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर ::

क्रमांक–सामान्य/8/2000/ 56115-220 दिनांक 2/8/07

:: परिपत्र ::

समस्त प्रभारी अधिकारी, केन्द्रीय/जिला/उप कारागृह, राजस्थान।

प्रभारी अधिकारी, महिला कारागृह, जयपुर/किशोर बंदी सुधारगृह, घूघरा, अजमेर।

विषय–जेलों में बंदियों की व्यवस्थाओं के संबंध में।

-***-

महानिदेशालय कारागार के परिपत्र क्रमांक सामान्य/8/2000/25009–25109 दिनांक 29.7.03 से जेलों में बंदियों को रखने एवं व्यवस्था बाबत विस्तृत निर्देश दिये गये हैं जिसके निरन्तर में क्रमांक सामान्य/8/2000/34588–611 दिनांक 13.11.03 से बंदियों की बैरक्स का वर्गीकरण एवं जेल सेवा में बंदियों को लगाने की प्रक्रिया बाबत निर्देश दिये गये हैं, परन्तु कारागृहों के निरीक्षण एवं समय–समय पर प्राप्त परिवादों के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये हैं कि इन परिपत्रों की लगन से पालना नहीं की जा रही है। अतः जरिये इस परिपत्र पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त परिपत्रों की अक्षरशः पालना करने के साथ–साथ निम्न प्रक्रिया की तत्काल पालन सुनिश्चित करें।

1. जेल सेवा में लगाये हुये समस्त सी.एन.डब्ल्यू, सी.ओ., औपन सी.ओ. के आचरण व कार्य की समीक्षा की जावे तथा 50 प्रतिशत को तत्काल जेल सेवा से हटाकर उनके स्थान पर अच्छे एवं असंदेहास्पद आचरण वाले बंदियों को जेल सेवा मे नियमानुसार लगाया जावे।

   किसी भी सी.एन.डब्ल्यू, सी.ओ., औपन सी.ओ. को स्थाई तौर पर किसी वार्ड या स्थान विशेष पर तैनात नहीं रखा जावे तथा एक माह पूरा होते ही इनका स्थान परिवर्तन अनिवार्य रूप से किया जावे।

2. विचाराधीन बंदियों को जेल सेवा के विभिन्न कार्यो पर लगाया जाता है जो कतई उचित नहीं है, विचाराधीन बंदियों को अपने वार्डस के बाहर किसी भी कार्य पर नहीं लगाया जावे।

   जेल में सभी प्रकार के अपराधियों को अलग–अलग वार्डस/बैरक्स मे रखे जाने का नियमों में प्रावधान है। विचाराधीन बंदियों के साथ दंडित बंदियो को किसी भी स्थिति में नहीं रखा जावे ताकि उनके द्वारा विचाराधीन बंदियों को प्रताड़ित करके उनका शोषण नहीं किया जा सके।

120

आदतन अपराधी, झगड़ालू प्रवृति वाले एवं बार-बार जेल अनुशासन भंग करने वाले बंदियों को साधारण विचाराधीन बंदियों से बिल्कुल अलग विशेष सुरक्षा निगरानी वाली बैरकों में रखा जावे। साधारण विचाराधीन बंदियों में से भी ऐसे बंदियों जो सम्पति विवाद, बैंक फ्राड, व्हाईट कालर अपराधी एवं कानून की पालना में तकनीकी कमी हो जाने पर जल में भेजे जाते है, को अन्य सभी दूसरे बंदियों से अलग रखा जावे ताकि जेल में अन्य बंदियों द्वारा उनके साथ प्रताड़ना पूर्ण एवं अमानवीय व्यवहार करने की संभावना नहीं रहे।

3. जेल में बंदियों को देय सुविधाएं नियमानुसार उपलब्ध हों तथा जेल की व्यवस्था सुचारू बनी रहे इस पर निगरानी के लिये जेलों में सुझाव एवं परिवाद बॉक्स रखे जाते हैं, परन्तु यह व्यवस्था सार्थक रूप से नहीं चल रही है। अधीक्षक जेल का यह मुख्य दायित्व है कि वह समय-समय पर यह देखें कि नियमों की पूर्ण पालना करते हुये जेल प्रबन्धन की व्यवस्थाएं हो रही है तथा इसमें पारदर्शिता परिलक्षित हो रही है। अतः सुझाव/शिकायत पेटियों में प्राप्त आवेदनों पर नियमित रूप से कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं इस व्यवस्था में सुधार करके जेल प्रबन्धन में पारदर्शिता कायम रखी जावे।

4. बंदी का जेल में प्रवेश एवं रिहाई अधीक्षक द्वारा चैक करने का नियमों में प्रावधान है इसका पूर्ण पालन किया जावे तथा विशेषकर रिहाई के वक्त अधीक्षक द्वारा रिहा होने वाले बंदी से उसके साथ जेल में रहने दौरान हुये व्यवहार बाबत जानकारी ली जाकर संतुष्ट हुआ जावे। अगर रिहा होने वाले बंदी द्वारा उसके साथ किसी भी प्रकार के अमानवीय व्यवहार होने की शिकायत की जावे तो उस संदर्भ में तत्काल जांच करके आवश्यक कदम उठाये जावे।

बंदियों से मुलाकात करने वालों से भी अधीक्षक द्वारा सम्पर्क करके यह सुनिश्चित किया जावे कि मुलाकात स्वीकृति/अन्दर बंदी को सुविधाएं दिये जाने के एवज में कोई राशि का भुगतान करने के लिये तो बाध्य नहीं किया जा रहा है। बंदी के परिजनों/मित्रों द्वारा मुलाकात के वक्त दिया जाने वाला सामान अधिकृत की गयी पूरी मात्रा में मिल रहा है या नहीं ? उसे भी मौके पर ही विशेषरूप से चैक किया करें।

बीमार बंदियों की सानयिक चिकित्सा व्यवस्था सुचारू रखी जावे। आवश्यक है कि चिकित्सक की सलाह पर बीमार बंदियों को दी जाने वाली दवाई, चिकित्सा खुराक, दूध आदि समय पर एवं पूरी मात्रा में मिले, के लिए अधीक्षक समय-समय पर न केवल परेड के दिन अपितु अन्य दिवसों में भी अस्पताल का राउण्ड करें एवं बंदियों से बातचीत करके सही मात्रा में दवाई, मेडिकल डाईट, दूध आदि उपलब्ध हो रहा है या नहीं तथा किसी प्रकार की हेरा-फेरी नहीं हो रही है, बाबत सुनिश्चित करें। विशेषज्ञ चिकित्सकों से ईलाज की जब भी जेल चिकित्सक द्वारा सलाह दी जावे तो ऐसे बीमार बंदियों को बिना किसी दिलम्ब के संबंधित चिकित्सालय में भेजने की व्यवस्था की जावे।

पूर्व परिपत्रों के निरन्तर में उक्त सभी बिन्दुओं की पालना करते हुए जेल अधीक्षक स्वयं का दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करें कि जेल में बंदियों विशेषकर नये प्रवेश होने वाले एवं विचाराधीन बंदियों के साथ किसी प्रकार का प्रताड़नापूर्ण एवं अमानवीय व्यवहार नहीं हो तथा नियमों के अनुरूप जेल प्रबन्धन एवं व्यवस्थायें कायम रखना सुनिश्चित करें।

परिपत्र की प्राप्ती अधीक्षक/उप अधीक्षक/प्रभाराधिकारी कारागृह स्वयं के हस्ताक्षरों से तत्काल प्रेषित करें।

(के.एस. बेन्स)
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान,जयपुर

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. उप महानिरीक्षक कारागार, क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर/जोधपुर।
2. निरीक्षण शाखा महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान,जयपुर
24/10/07